



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6937

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 502 वर्ष 2026

छोटे राजा उर्फ भूपेन्द्र सिंहआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : शालविन

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री शालविन, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सुश्री अर्चना चौहान, सूचनाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता, श्री आर.पी. पटेल, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 126 वर्ष 2025, धारा 103(1), 109(1), 190, 191(2), 191(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना श्रीनगर, जिला महोबा में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त पप्पू कुशवाहा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 40824 वर्ष 2025 में दिनांक 27.11.2025 को पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः चूंकि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान है, जिसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है। आवेदक के आरोपित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दे दिया गया है। वह दिनांक 23.06.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. जमानत की प्रार्थना का सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान राज्य विधि अधिकारी द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
6. उच्चतम न्यायालय ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648 में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अन्यथा अभियुक्त का जमानत का प्रकरण बनता है तो उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वतः जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा परस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 तथा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक छोटे राजा उर्फ भूपेन्द्र सिंह, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

(रवि कान्त)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।